संख्या:40/2023/1474 ई-2/तेरह-2023-261292

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 20 अक्टूबर, 2023

विषयः- मेसर्स रेडिको खेतान लि., जनपद रामपुर की अधिष्ठापित क्षमता 1024.60 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 973 लाख लीटर से घटाकर 922 लाख लीटर तथा शेष 102.60 लाख लीटर को औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-96/नौ-अल्कोहल/2013-14/देश के बाहर/ 692/ग्रेन ई.एन.ए. निर्यात, दिनांक 03-10-2023 तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 11-10-2023 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:1437ई-2/तेरह-2023-261292, दिनांक 12-10-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 03-10-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स रेडिको खेतान लि., जनपद रामपुर की सहोदर इकाई मेसर्स रेडिको खेतान लि., सीतापुर से पेय मदिरा की आपूर्ति के कारण मेसर्स रेडिको खेतान लि., जनपद रामपुर की स्वीकृत पेय क्षमता के सापेक्ष उपभोग न कर पाने तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में औद्योगिक क्षमता समाप्त हो जाने के कारण देश के बाहर ग्रेन ई.एन.ए. के निर्यात किये जाने के उद्देश्य से मेसर्स रेडिको खेतान लि., जनपद रामपुर की अधिष्ठापित क्षमता 1024.60 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता अधिष्ठापित क्षमता का 95 प्रतिशत अर्थात् 973 लाख लीटर वार्षिक को घटाकर अधिष्ठापित क्षमता का 90 प्रतिशत अर्थात् 922 लाख लीटर वार्षिक किये जाने तथा शेष क्षमता 102.60 लाख लीटर वार्षिक औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि शासनादेश संख्या:58/2022/1777ई-2/तेरह-2022/261292, दिनांक 09-11-2022 में लगाये गये प्रतिबन्ध पूर्ववत रहेंगे।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः40 /2023/1474(1)ई-2/तेरह-2023-261292,तद्दिनांकः-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(**उमेश कुमार तिवारी**)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।